# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 44/2025

**उनवान**

1. हनुमान पुत्र गोपाल जाति नायक निवासी ग्राम बनेवडी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री कालूराम गुर्जर

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र लादूराम जाति भांबी निवासी ग्राम नाथूथला, पीसांगन
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री मोहम्मद जावेद
2 जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251** ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 15.12.25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 485, 486, 487 व 488 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 489 का उपयोग किया जाता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं की खातेदारी आराजी में से 25 फिट रास्ता देने की स्वीकारोक्ति पेश की। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 485, 486, 487 व 488 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 489 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदाररी की है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। अन्य वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नही है। मौका रिपोर्ट पर प्रकरण का कोई खण्डन नही है। मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता सिद्व होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 489 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लवेरा के खसरा नम्बर 489 में से 120 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौडा कुल 548.50 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में [illegible]चक

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 489 की भूमि के बदले 295861/अक्षरे दो लाख पिचयानवे हजार आठ सौ इकसठ रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद कराने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested